तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
	कानुराम बनाम नरसीराम प्रा०पत्र 25(RTA) अंक - 116/2023	

24.06.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई।

वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील आवेदकगण/अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि उक्त उनवानी प्रकरण में अंकित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3196 के वर्तमान खातेदारान् के मृत्तक पिता ग्यारसीलाल ने जरिये इकरारनामा दिनांक 26.06.2009 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के उत्तरी पश्चिमी कोने में रास्ते हेतु 8 फुट चौड़ाई की जो लम्बाई में पूर्व दिशा में आगे जाकर उत्तरी ओर नारायण, सुरजा, सरदारा गूर्जर वगै0 की जमीन की सींव तक लम्बाई में बैचान किया था। प्रार्थीगण उक्त रास्ता खसरा नम्बर 3196 की उत्तरी सींव से प्राप्त करने के अनुतोष के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है को जरिये ईकरारनामा कयशुदा मालिक आवेदकगण /अप्रार्थीगण है। इसके बावजूद प्रार्थीगण ने बिना प्रार्थीगण /आवेदकगण को बिना पक्षकार बनाये बाला–बाला तरीके से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण के पिता ग्यारसीलाल ने उक्त रास्ता की भूमि का प्रतिफल मुआवजा राशि आवेदकगण से प्राप्त कर ली जाने [illegible] मात्र [illegible]र्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व [illegible] मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होकर आवेदकगण/प्रार्थीगणको पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण आवेदकगण की कयशुदा भूमि में से रास्ता लेना चाहते है जबकि अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम की तामील

कालूराम बनाम नरसीराम

प्रा.पत्र 251 RTA प्रकरण - 116/2023

751, 752 से रास्ता नहीं देना चाहते है। इसके लिए प्रार्थीगण/आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट उनवानी बनवारी वगैरा बनाम् नरसीराम वगैरा का पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण कालूराम वगैरा भी पक्षकार है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण /आवेदकगण को पक्षकार बनाया जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी भूमि में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्तें हेतु समस्त खातेदारान् को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। आवेदकगण द्वारा केवल मात्र मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनना चाहते है। जबकि आवेदकगण के पास किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेजात् नहीं है। आवेदकगण के पास केवल मात्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा इकरारनामा है। जिसके आधार पर किसी प्रकार के कानूनी अधिकार सृजित नहीं किये जा सकते। ईकरारनामा के आधार पर वांछित अनुतोष सिविल न्यायालय के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते है। आवेदकगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण को देरीना करने की मंशा से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के मृत्तक पिता ग्यारसीलाल से जरिये ईकरारनामा दिनांकित 26.06.2009 में रास्ते हेतु कयशुदा भूमि की सीमा दर्शित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

... व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय तस्दीकशुदा बतौर धारा 251 आर.टी.ए. क्रु.नं. – 116/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थीगण के द्वारा सटाकर भूमि खसरा नम्बर 3196 के उत्तरी पश्चिमी कोने में रास्ते हेतु 8 फुट चौडाई की जो लम्बाई में पूर्व दिशा में आगे जाकर उत्तरी ओर नारायण, सुरजा, सरदारा गूर्जर वगै0 की स्वयं की भूमियों तक नही लगता है लेकिन उक्त कथित रास्ता प्रार्थीगण की सीव तक भूमि रास्ते हेतु क्रय किया जाना प्रकट होता है। आवेदकगण के द्वारा उक्त भूमि क्रय कर लिये जाने से अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकार सृजित नहीं होते है। आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि रास्ते हेतु क्रय किये जाने के उपरान्त उक्त रास्ता मौके पर चालू कर दिया है तथा उसी से प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण अपनी भूमियों में आवागमन हेतु उपयोग उपभोग करता आना प्रकट होता है। प्रार्थीगण आवेदकगण की क्रयशुदा भूमि में से रास्ता लेना तथा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 751, 752 से रास्ता नहीं देना प्रकट होता है। प्रार्थीगण/आवेदकगण ने एक पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट का उनवानी बनवारी वगै0 बनाम् नरसीराम वगै0 का पेश कर रखा है। जिसमें प्रार्थीगण कालूराम वगै0 भी पक्षकार है। उक्त उनवानी प्रकरण बनवारी वगै0 बनाम् नरसीराम वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट में चाहा गया रास्ता काफी बड़ा व रा[illegible] छोड़ता हुआ ग्राम रूपपुरा से [illegible] हुआ [illegible] प्र[illegible]वित किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेत तक जाने हेतु प्र[illegible]वित किया जाकर उक्त रास्ते की मॉग की गई है। प्रस्तुत प्रकरण मुकदमा संख्या 116/2023 उनवानी कालूराम बनाम नरसीराम वगै0 प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम की तारीख
	अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट में आवेदकगण द्वारा जिस रास्ते हेतु आवश्यक पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, वे सभी आवेदकगण न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन पत्रावली मुकदमा संख्या 109/2023 उनवानी बनवारी लाल वगै0 बनाम नरसीराम वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट में प्रार्थीगण ही दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। जहॉ तक विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट मुकदमा संख्या 116/2023 उनवानी कालूराम बनाम नरसीराम वगै0 में रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है। तो प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया वांछित रास्ता इसी न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट मुकदमा संख्या 109/2023 उनवानी बनवारी लाल वगै0 बनाम नरसीराम वगै0 में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में उस रास्ते का भी अंकन है। पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट में चाहा गया अनुतोष प्रार्थीगण को पूर्ववत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट में भी प्राप्त हो सकता है तथा प्रार्थीगण ... अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें भी रास्ता का अनुतोष आसानी से प्राप्त हो सकेगा। साथ प्रार्थी द्वारा जिस भूमि	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जारी

कालूराम बनाम नरसीराम

क्र- पत्र 251 A TA मुक0 116/2023

खसरा नम्बर 752 हेतु रास्ता चाहा है। वह संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमे प्रार्थी के अलावा 18 अन्य सहखातेदार भी दर्ज है जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए का आवेदन मात्र एक खातेदार की तरफ से आया है तथा अन्य सह खातेदारों को ना ही पक्षकार बनाया गया है ना ही संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि का निर्धारण हो सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार प्रार्थीगण कालूराम वगै0 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट मुकदमा संख्या 116/2023 उनवानी कालूराम बनाम नरसीराम वगै0 वाद बाहुल्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से पेश किया जाना प्रकट होने से इस पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट मुकदमा संख्या 116/2023 उनवानी प्रकरण कालूराम बनाम नरसीराम वगै0 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:01 IST
Reason: SelfAttested